

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० ०५...../२०१६-१७

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
13/3/19	<p>झारखंड सरकार के ज्ञापक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-आमाधाटा मौजा न०-09 खाता न० 28 प्लॉट न० 138 रकवा 05 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या. 245 पर जमाबंदी रैयत श्री/श्रीमति महेश नंद प्रसाद के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक...27/3/19...को रखे।</p>	


13.3.19
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

24/5/19


आज अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षकसे मंतव्य/प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 18/5/19 को रखे।


27.3.19
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

18/5/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त है निर्वाचन के पश्चात अभिलेख दिनांक 18/5/19 को उपस्थापित करे।


18.5.19
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

18/6/20

आज अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का मंतव्य/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिश निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।


20.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।


20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदित भूमि मौजा आमाघाटा मौजा न0 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 10 कटठा भूमि से संबधी राजस्व कागजात उपलब्ध कराने हेतु जमांबदी रैयत को नोटिश निर्गत किया गया। जमांबदी रैयत के संबध में खोज-बीन करने के उपरांत पता नही चला, जिसके कारण नोटिश बिना तामिला का ही प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख में संलग्न है। संबधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरआवाद खाते की है दाखिल खारिज केस सं0 1196(1)1992-93 के अनुसार जमांबदी कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जमांबदी को संदेहास्पद माना है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमांबदी को रद्द हेतु अनुशंसा किया है।

अतः जांच प्रतिवेदन के आलोक में जमांबदी रद्द अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद, को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


20.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।


20.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

धनबाद।